बिहार विधान-सभा

की

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति

1982-83

का

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार की सेवाओं में नियुक्ति
एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
के लोगों का प्रतिनिधित्व

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा सचिवालय
(कल्याण समिति शाखा)
पटना
1983

सदन में उपस्थापित करने की तिथि.................

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना ।	
विषय का उपस्थापन ।	
प्रतिवेदन	1—3
सिफारिशों का सारांश	4
परिशिष्ठ	5—25

प्रस्तावना

बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के सभापति की हैसियत से, मैं समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन जो खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय पर है, उपस्थापित करता हूं ।

खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की विवरणी सभा सचिवालय को प्राप्त हुई जिसके आधार पर खाद्य आयुक्त, श्री एम० सी० सुवर्णा से समिति ने विचार-विमर्श किया। खाद्य आयुक्त से हुए विचार-विमर्श एवं उनसे प्राप्त विवरणी के अवलोकन के आधार पर कल्याण उप समिति-2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया गया है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति-2 ने दिनांक 21 फरवरी 1983 की बैठक में इस प्रतिवेदन को स्वीकृत किया तथा मुख्य समिति ने दिनांक 25 फरवरी 1983 की बैठक में इसे अनुमोदित किया।

प्रतिवेदन की तैयारी में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा खाद्य आयुक्त ने समिति को जो सहयोग प्रदान किया है, इसके लिये इनलोगों को समिति धन्यवाद देती है ।

एस० के० बागे,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति ।

पटना, दिनांक 25 फरवरी 1983।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति (1982-83) का गठन।

क्र० सं०

सभापति

1. श्री एस० के० बाग, स० वि० स०।

सदस्यगण

2. श्री बनवारी राम, स० वि० स०
3. श्री तुर्की सिंह, स० वि० स०।
4. श्री विश्वनाथ ऋषि, स० वि० स०।
5. श्री अरुण कुमार सिंह, स० वि० स०।
6. श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स०।
7. श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स०।
8. श्री महेश राम, स० वि० स०।
9. श्री संजीव प्रसाद टोनी, स० वि० स०।
10. श्री पीताम्बर पासवान, स० वि० स०।
11. श्री टीकाराम मांझी, स० वि० स०।
12. श्री नवल किशोर भारती, स० वि० स०।
13. श्रीमती मुक्तिदानी सुम्बरुई, स० वि० स०।
14. श्री करिया मुंडा, स० वि० स०।
15. श्री शिवनन्दन पासवान, स० वि० स०।
16. श्री रामलखन राम रमण, स० वि० स०।
17. श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स०।
18. श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स० वि० स०।
19. श्री सूर्यदेव सिंह, स० वि० स०।
20. श्री हारु रजवार, स० वि० स०।
21. श्री जयकान्त पासवान, स० वि० स०।
22. श्री दुती पाहन, स० वि० प०।
23. श्री भाई हालेन कुजूर, स० वि० प०।
24. श्री राम प्रवेश पासवान, स० वि० प०।
25. श्रीमती स्टेनशीला हेम्ब्रम, स० वि० प०।
26. श्री राज किशोर प्रसाद, स० वि० प०।
27. श्री राजदेव राम, स० वि० प०।
28. सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, स० वि० प०।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उपसमिति-2 के सदस्यगण ।

क्रमांक

संयोजक

1. श्री अवध बिहारी सिंह, स० वि० स० ।

सदस्यगण

2. श्री अरुण कुमार सिंह, स० वि० स० ।
3. श्री जवाहर प्रसाद सिंह, स० वि० स० ।
4. श्री करिया मुंडा, स० वि० स० ।
5. श्री रामलखन राम रमण, स० वि० स० ।
6. श्री देवीपद उपाध्याय, स० वि० स० ।
7. श्री जयकांत पासवान, स० वि० स० ।
8. श्री मुनी सिंह, स० वि० स० ।
9. श्री राम प्रवेश पासवान, स० वि० प० ।
10. श्रीमती स्टेनशीला हेम्ब्रम, स० वि० प० ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री विमलेन्दु नारायण सिन्हा, सचिव ।
2. श्री अलख निरंजन प्रसाद, संयुक्त सचिव ।
3. श्री अर्जुन प्रसाद, उप-सचिव ।
4. श्री शिव प्रसाद शाह, अवर-सचिव ।
5. श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी ।
6. श्री इन्दिरा रमण उपाध्याय, प्रशाखा पदाधिकारी ।
7. श्री श्यामदेव चौधरी, प्रभारी सहायक ।

विषय का उपस्थापन

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष उपबन्ध।

संवैधानिक उपबन्ध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) एवं 335 के आलोक में राज्य सरकार के सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व के लिये विशेष उपबन्ध किये गये हैं। अनुच्छेद 16 (4) एवं 335 नीचे उद्धृत है:-

(1) "16 (4)-इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य के पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।"

(2) "335 संघ या राज्य के कार्यों से संयुक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य पद्धति बनाए रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाएगा।"

2. संविधान द्वारा प्रदत्त उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिये कार्मिक विभाग के पत्रांक-9908, दिनांक 13 नवम्बर, 1953 द्वारा 1951 की जनगणना के आधार पर जिन सेवाओं में और जिन पदों पर राज्य स्तर पर सीधी भरती द्वारा नियुक्ति की जाती है, उनमें अनुसूचित जाति के लिये रिक्तियों का 12½ प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जाति के लिये 10 प्रतिशत आरक्षित किया था। बाद में जनगणना के आधार पर 12½ से बढ़ाकर 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये और 10 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति के लिये स्थान सुरक्षित रहा।

3. राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राज्य में हो, की गई नियुक्तियां राज्य स्तर पर की गई नियुक्तियां होती हैं।

4. क्षेत्रीय या स्थानीय संवर्गों, स्थापनाओं और कार्यालयों की ऐसी रिक्तियां जिनमें राज्य सरकार के केवल क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारिता रखनेवाले किसी अधीनस्थ पदाधिकारी (जैसे प्रमंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि) द्वारा नियुक्ति की जाती है, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिये विशेष रूप से जिला स्तर से ऐसे पदों को आरक्षित रखी गई है। प्रमंडलों और जिलों में इन जातियों के लिये जनगणना के आधार पर अलग-अलग प्रतिशत निश्चित किया गया है।

प्रतिवेदन

5. बिहार विधान-सभा सचिवालय के पत्रांक-259, दिनांक 15 फरवरी 1982 के द्वारा खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार से तथा मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में विवरणी की मांग की गई थी। खाद्य आयुक्त, बिहार के पत्रांक-6952, दिनांक 9 जून 1982 द्वारा सभा सचिवालय को विवरणी प्राप्त हुई। विवरणी परिशिष्ट-1 पर रख दी गई है।

6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की उप-समिति 2 की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 1982 में श्री एम० सी० सुवर्णा, खाद्य आयुक्त एवं श्री आर० के० सिन्हा, उप सचिव, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग से विचार-विमर्श हुआ, विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय की विवरणी निम्न रूप में है।

आपूर्ति एवं खाद्य विभाग मुख्यालय

7. श्रेणी 1 में 8 पद हैं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और कार्मिक विभाग के पदाधिकारी हैं। अपर सचिव के पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जो कार्मिक विभाग के ही पदाधिकारी हैं।

8. श्रेणी 2 के 19 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 18 पद पर पदाधिकारी कार्यरत हैं। विभाग के मुख्यालय स्थापना के 19 पदों में से 2 पद कार्मिक विभाग द्वारा तथा 17 पद विभागीय प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। विभाग के उक्त 17 पदों में कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्य नहीं हैं जिसके कारण प्रोन्नति नहीं दी जा सकी। इस विषय पर समिति की सिफारिश है कि श्रेणी-2 में रिक्त पदों पर तथा इस श्रेणी में अन्य रिक्त होने वाले पदों पर उक्त जातियों के प्रतिनिधियों को प्रोन्नति देने की कारवाई विभाग करे।

9. श्रेणी-3 में विभाग में कुल 131 पद स्वीकृत हैं जिनमें 106 कार्यरत हैं और 25 पद अभी भी रिक्त हैं। उनमें सहायक, दिनचर्या लिपिक एवं टंकक के पद कार्मिक विभाग से आवंटन के आधार पर मिला है तथा 2 पद रेलवे से प्रतिनियोजित है। उक्त पदों में 3 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जन-जाति के लोगों से भरे गए हैं। प्रोन्नति की विवरणी में 32 पद प्रोन्नति के हैं जिनमें नियमानुसार अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के लिये 4 पद होते हैं, उनमें से 3 पदों पर प्रोन्नति दी गई और 1 पद शेष रह गया क्योंकि उक्त जाति के कोई सदस्य उपलब्ध नहीं थे। अनुसूचित जन-जाति के लिये 1 पद आरक्षित है, उसपर उक्त जाति के 1 व्यक्ति को प्रोन्नति दी गई है। समिति की

सिफारिश है कि श्रेणी-3 के रिक्त पदों पर नियुक्ति करते समय उक्त जातियों के प्रतिनिधियों को नियुक्ति किया जाय । जिससे आरक्षण कोटा के प्रतिशत में वृद्धि हो सके ।

10. विभाग में श्रेणी 4 के कुल 54 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 52 पर लोग कार्यरत हैं और 2 पद रिक्त हैं । भरे गए उक्त पदों में 11 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं जिनका प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत है । इसमें आरक्षण का कोटा पूर्णतया संतोषप्रद है तथा अनुसूचित जन-जाति के 4 व्यक्ति हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 8 प्रतिशत है । इसमें राज्य स्तर के आरक्षण कोटा से 2 प्रतिशत की कमी रह जाती है । समिति की सिफारिश है कि श्रेणी-4 के रिक्त पदों पर अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति पर आरक्षण कोटा को पूरा करने की विभाग कार्रवाई करे ।

क्षेत्रीय नियुक्तियाँ

11. क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रेणी-2 के दो तरह के पद हैं । सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के 20 पद स्वीकृत हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लिये 3 पद आरक्षित हैं और अनुसूचित जन-जाति के लिये 2 पद आरक्षित हैं किन्तु आरक्षित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण उन पदों को अनारक्षित कर दिया गया है ।

12. पणन पदाधिकारी के 46 पद स्वीकृत हैं जिनमें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कोटा 8 है जिसमें 7 व्यक्ति प्रोन्नति प्राप्त कर चुके हैं, शेष 1 पद विभाग द्वारा सुरक्षित रखा गया है । इसी प्रकार अनुसूचित जन-जाति के लिये 5 पद आरक्षित हैं, जिनमें 3 पदों पर विभाग द्वारा प्रोन्नति दी गई है, शेष 2 पद विभाग द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं । इस बिन्दु पर समिति की अनुशंसा है कि विभाग द्वारा सुरक्षित पदों को उक्त जातियों से ही भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाय।

13. श्रेणी-3 के पदों में सहायक पणन पदाधिकारी के 267 पदों पर नियुक्ति तथा प्रोन्नति दी गई है जिनमें अनुसूचित जाति के लिये 38 पद सुरक्षित पद हैं । इन पदों पर 29 व्यक्तियों को रखा गया है और अनुसूचित जन-जाति के लिये 26 पद सुरक्षित हैं, जिसमें 20 व्यक्तियों को रखा गया है । उक्त पदों पर विभाग द्वारा रखने का कार्य 1976 से 1981 तक किया गया । विभाग से प्राप्त विवरणी में कहा गया है कि विभाग द्वारा शेष रिक्त पदों पर विभागीय प्रोन्नति से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके प्रोन्नति के द्वारा पद भरे जायेंगे । इस संबंध में समिति की अनुशंसा है कि सहायक पणन पदाधिकारी के सुरक्षित पदों पर उक्त जातियों के व्यक्तियों से शीघ्र भरने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाय।

14. श्रेणी-3 में 1212 पद आपूर्ति निरीक्षक का है, जिनमें 937 कार्यरत हैं। इसमें 275 पद रिक्त हैं। विभागीय आयुक्त का कथन है कि 1968 के बाद इस पद पर कोई बहाली नहीं हुई है। इस पद पर पूर्व में समाहरणालय के लिपिकों में से, समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों से तथा लोक-सेवा आयोग के असफल उम्मीदवारों से लोग लिये गए तथा कुछ नियुक्तियाँ सीधी आपूर्ति विभाग द्वारा की गई हैं। 1212 पदों में कोटा के आधार पर अनुसूचित जाति के लिये 139 पद एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये 93 पद सुरक्षित होते हैं। समिति ने इसपर पूर्ण विचार-विमर्श के उपरान्त यह अनुशंसा करती है कि आपूर्ति निरीक्षक के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु सरकार कारगर कदम उठावे और आरक्षण कोटा के अनुसार सुरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति करे।

क्रम सं०	प्रतिवेदन का पारा संख्या	समिति की सिफारिशों का सारांश ।
1	8	इस विषय पर समिति की सिफारिश है कि श्रेणी 2 के रिक्त पदों पर तथा इस श्रेणी में भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर उक्त जातियों के प्रतिनिधियों को प्रोन्नति देने की कार्रवाई विभाग करे ।
2	9	समिति की सिफारिश है कि श्रेणी 3 में रिक्त पदों पर नियुक्ति करते समय उक्त जातियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाय जिससे आरक्षण के प्रतिशत में वांछित वृद्धि संभव हो सके ।
3	10	समिति की सिफारिश है कि श्रेणी 4 के रिक्त पदों पर अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति की नियुक्ति कर आरक्षण कोटा को पूरा करने की विभाग कार्रवाई करे ।
4	12	समिति की अनुशंसा है कि विभाग द्वारा सुरक्षित पदों पर उक्त जातियों से ही भरने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाय।
5	13	इस संबंध में समिति की अनुशंसा है कि सहायक पणन पदाधिकारी के सुरक्षित पदों पर उक्त जातियों के व्यक्तियों से शीघ्र भरने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जाय।
6	14	समिति यह अनुशंसा करती है कि आपूर्ति निरीक्षक के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु विभाग कारगर कदम उठाए और आरक्षण कोटा के अनुसार सुरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति करें ।

परिशिष्ट—1

परिशिष्ट

विभाग/कार्यालय का नाम—खाद्य आपूर्ति

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों

श्रेणी का नाम।	प्रोन्नति के लिये उपलब्ध पदों की सं०।	अनुसूचित जाति की प्रोन्नति के लिये		अनुसूचित जन-जाति की प्रोन्नति के लिये।	
		आरक्षित पदों की सं०।	प्रोन्नति प्राप्त पदों की सं०।	आरक्षित पदों की सं०।	प्रोन्नति प्राप्त पदों की सं०।
1	2	3	4	5	6
श्रेणी 1 ..	..	..	..	..	..
श्रेणी 2—					
सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	20	3	शून्य	2	शून्य
पजन पदाधिकारी (26 मार्च 1980 से अप्रील 1981 तक)।	46	8	7	5	3

1

एवं वाणिज्य विभाग, पटना।

को प्रोन्नति में आरक्षण का विवरण 1975 से अद्यतन स्थिति के साथ।

बिना पारी के कितने	बिना पारी के कितने	
अनुसूचित जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई।	अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के नियत आरक्षण कोटि के अनुसार नियुक्त न होने के कारण।
7	8	9
..	..	
..	..	आरक्षित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं रहने के कारण आरक्षित पदों को राज्यपाल महोदय के सलाहकार की सहमति से अनारक्षित करा कर सामान्य जाति से भरा गया।
..	..	अनुसूचित जाति/जन-जाति के सहायक पणन पदाधिकारी का आरक्षण 30 अप्रील 1976 से हुआ। नियमतः 5 वर्ष कालावधि पूरी होने के बाद का, अर्थात 1 मई 1981 से इनकी प्रोन्नति देय हुई। फलस्वरूप दिनांक 25 जून 1981, 14 मई 1981 एवं 21 दिसम्बर 1981 को हुई प्रोन्नति समिति की बैठकों में अनुसूचित जाति के 8 तथा अनुसूचित जन-जाति के 5 सहायक पणन पदाधिकारी की प्रोन्नति पणन पदाधिकारी के पद पर हुई। शेष पद सुरक्षित रखे गये हैं।

1	2	3	4	5	6
श्रेणी 3—					
सहायक पणन पदाधिकारी 1976 ।	150	21	17	15	5
1977 ..	26	4	4	3	7
1977 से ..	50	7	6	5	5
1980 तक ..	13	2	1	1	1
1981 तक ..	28	3	1	3	2

7	8	9
		अभ्युक्ति की अनुपलब्धता एवं जातीय प्रमाण-पत्र का अभाव हुआ। कालक्रम से जैसे-जैसे प्रक्रिया पूरी होती गई, पूर्व के पदों के साथ प्रोन्नति दी गयी। सम्प्रति की पद आरक्षित रखे गये हैं, क्योंकि प्रोन्नति की पूर्व कुछ औपचारिकतायें यथा गोपनीय अभ्युक्ति की अनुपलब्धता आदि के अभाव में नहीं की जा सकी है।
..	..	..
..	..	..
..	..	..
..	..	..

एम० सी० सुवर्णा,
खाद्य आयुक्त, बिहार।

विवरणी

विभाग/कार्यालय का नाम—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित/जन-जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व

पद/श्रेणी का नाम।			स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या
1			2	3
श्रेणी 1	..	..	..	..	..
श्रेणी 2	..	..	..	..	..
श्रेणी 3	..	.	..	..	..
श्रेणी 4	..	..	..	..	..

1

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, पटना।

सम्बन्धी विवरण—अद्यतन स्थिति के साथ।

अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जन-जातियां		अद्यतन स्थिति के साथ अभ्युक्ति।
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
4	5	6	7	8
..	..	..	..	विभाग के अन्तर्गत श्रेणी 3 में आपूर्ति निरीक्षक के 1,212 पद स्वीकृत हैं जिसकी नियुक्ति पदाधिकारी खाद्य आयुक्त, बिहार हैं। आपूर्ति निरीक्षकों के पद पर वर्ष 1968 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है। 1968 के पूर्व आपूर्ति निरीक्षक के पदों पर कुछ नियुक्तियां समाहरणालयों के अनुभवी लिपिकों से की गयी थी। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग तथा उद्योग विभाग के छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की भी नियुक्ति आपूर्ति निरीक्षक के पद पर हुई थी तथा एकाएक आवश्यकता आ पड़ने पर कुछ आपूर्ति निरीक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के असफल उम्मीदवारों से की गयी थी तथा कुछ सीधे विभाग द्वारा नियुक्त किये गये थे।
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	

एम० सी० सुवर्णा,
खाद्य आयुक्त, बिहार।

विवरणी

विभाग/कार्यालय का नाम—

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन-जाति के लोगों का

श्रेणी का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या
1	2	3
श्रेणी 1 (दफ्तरी—2, जमादार—2, आदेशपाल—0 प्रवर कोटि चपरासी—10, चपरासी—39, प्रयोग-शाला सेवक—1) कुल 54।	54	52
कुल योग	54	52

बिहार विधान-सभा सचिवालय के पत्रांक 250, दिनांक 15-2-82

1

खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग।

प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण।

अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जन-जातियां		अद्यतन स्थिति के साथ अभ्युक्ति।
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
4	5	6	7	8
11	20	4	8	(1) मुख्यालय स्थापना में स्थित चतुर्थ वर्ग के पदों की नियुक्ति पदाधिकारी निबन्धक है तथा उनका मुख्यालय पटना है। (2) ट्रेजरी सरकार को एक पद सृजित होने के फलस्वरूप चतुर्थ वर्ग का एक पद सरेन्डर हुआ है।
11	..	4	..	

एम० सी० सुवर्णा,
खाद्य आयुक्त, बिहार।

विवरणी

विभाग/कार्यालय का नाम--

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों

श्रेणी का नाम।	प्रोन्नति के लिये उपलब्ध पदों की संख्या।		अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के लिये। आरक्षित पदों की संख्या।	अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के लिये। प्रोन्नति प्राप्त पदों की सं०	अनुसूचित जन-जाति की प्रोन्नति के लिये। आरक्षित पदों की संख्या।	अनुसूचित जन-जाति की प्रोन्नति के लिये। प्रोन्नति प्राप्त पदों की संख्या।
1	2		3	4	5	6
श्रेणी 4	दफ्तरी ..	2	1	1	1	.
	जमादार ..	2				
	आदेशपाल ..	..				
	प्रवर कोटि के चपरासी।	10				
		14				
	कुल योग	14	1	1	1	..

३

खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग।

को प्रोन्नति में आरक्षण का विवरण 1975 से अद्यतन स्थिति के साथ।

बिना पारी के कितने अनुसूचित जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई।	बिना पारी के कितने अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के नियम आरक्षण कोटि के अनुसार नियुक्ति होने के कारण।
7	8	9
1	..	अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों की नियुक्ति 1980 एवं उसके पश्चात हुई है।
1	..	

एम० सी० सुवर्णा,
खाद्य आयुक्त, बिहार।

विवरण 2 के संबंध में पदों का पूर्ण विवरण

श्रेणी का नाम ।	पदों का नाम	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या						
			1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उप सचिव ..	1	..	..	..	..	..	..	..
2	(1) अवर सचिव	2	..	..	..	..	..	..	..
	(2) नियन्त्रक ..	1	..	..	..	..	..	..	..
	(3) सहायक लेखा नियंत्रक ।	2	..	..	..	..	..	..	..
	(4) प्रशाखा पदाधिकारी । (9 जुलाई 1980 से 3 पद) ।	12	..	..	..	..	..	..	..
3	(1) प्रवर कोटि सहायक । (5 मार्च 1977 से 10-15 पद)	15	..	..	..	..	..	..	..
	(2) मुख्य टंकक ..	1	..	..	..	..	..	..	..
	(3) प्रवर कोटि दिनचर्या लिपिक)	2	..	..	..	..	..	..	..

(1975 से प्रोन्नति में आरक्षण)

अनुसूचित जन-जाति की संख्या							अभ्युक्ति
1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	
11	12	13	14	15	16	17	18
..	..	..	..	..	..	..	सन् 1975, 77, 79 एवं 1980 में कोई प्रोन्नति नहीं हुई।
..	..	..	..	..	..	..	सन् 1975, 77, 78 एवं 1980 में कोई प्रोन्नति नहीं हुई।
..	..	..	..	..	..	..	सन् 1975 76 एवं 78 में कोई प्रोन्नति नहीं हुई।
..	..	..	..	..	..	..	सन् 1975 एवं 1977 से 1980 तक कोई प्रोन्नति नहीं हुई है।
..	..	..	..	..	..	..	सन् 1976 में कोई प्रोन्नति नहीं हुई है।
..	..	..	..	..	..	..	1978 एवं 1979 में कोई प्रोन्नति नहीं हुई।
..	..	..	..	..	..	..	1975 से 1981 तक कोई प्रोन्नति नहीं।
..	..	..	..	..	..	..	1975, 1977, 1978 1980 एवं 1981 में कोई प्रोन्नति नहीं हुई है।

विवरण 2 के संबंध में पदो का पूर्ण विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(4)	दिनचर्या लिपिक (50 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध)	6	..	..	..	..	..	..	1 (एक)
(5)	ट्रेजरी सरकार	1 (एक)	1	..	..	..	..	..	..
(6)	अभिलेखावाह	2	..	..	..	..	..	..	..
(7)	वरीय लेखा निरीक्षक	4	..	..	..	..	..	..	..
(8)	सांख्यक ..	1	..	..	..	..	1 (एक)	..	..

दो का पूर्ण विवरण

8	9	10
..	..	1 (एक)
..	..	..
..	..	..
..	..	..
1 (एक)	..	..

1975 से प्रोन्नति में आरक्षण।

11	12	13	14	15	16	17	18
..	..	..	..	..	..	..	1976 से 1980 के बीच कोई प्रोन्नति नहीं हुई है।
..	..	..	..	..	..	..	1976 से 1980 के बीच कोई प्रोन्नति नहीं हुई है।
..	..	..	..	..	..	..	1976 से 1981 के बीच कोई प्रोन्नति नहीं हुई है।
..	..	..	..	..	..	..	1975 से 1979 के बीच कोई प्रोन्नति नहीं हुई।
..	..	..	..	..	..	..	1976, 1977 एवं 1979 से 1981 के बीच कोई प्रोन्नति नहीं। (पारी के पहले प्रोन्नति)

एम०सी० सुवर्ण,
खाद्य आयुक्त बिहार।

विवरणी 2 के संबंध में पदों का पूर्ण विवरण (नियुक्ति में आरक्षण)

वर्ग का नाम।	पदों का नाम		पदों की की संख्या।	अनु० जाति की संख्या।	अनु० जन जाति की संख्या।	नियुक्ति पदाधिकारी का पदनाम	नियुक्ति पदाधिकारी का मुख्यालय।
1	2		3	4	5	6	7
श्रेणी-1	(1) खाद्य आयुक्त	..	1	..	..	राज्य सरकार	कार्मिक विभाग, पटना
	(2) अपर सचिव	..	1	..	1	,,	,,
	(3) ई०आई०जा० फुड	..	1	..	..	,,	गृह (आरक्षी) विभाग
	(4) उप-सचिव	..	3	1	..	,,	पटना
	(5) यातायात निदेशक	..	1	..	..	,,	रेलवे से प्रतिनियुक्त
	(6) लेखा पदाधिकारी	..	1/8	..	..	,,	महालेखाकार/कार्मिक प्रतिनियुक्त।
श्रेणी-2	(1) अवर सचिव	..	2	..	..	,,	पटना
	(2) दं०डा० (उड़न्त दस्ता)	..	1	..	..	,,	कार्मिक विभाग, पटना
	(3) खाद्य आयुक्त के सचिव	..	1	..	..	,,	,,
	(4) निबंधक	..	1	..	..	,,	पटना
	(5) सहायक लेखा नियंत्रक	..	2	..	..	,,	पटना
	(6) प्रशाखा पदाधिकारी	..	1219	..		खाद्य आयुक्त	,,

श्रेणी-3	(1) प्रवर कोटि सहायक ..	15	..	..	"	"
	(2) सहायक ..	59	..	..	"	कार्मिक से आवंटन
	(3) प्रवर कोटि दिनर्या लिपिक ..	2	..	..	"	"
	(4) दिनचर्या लिपिक ..	10	1	1	"	कार्मिक विभाग से आवंटन, पटना ।
	(5) मुख्य टंकक ..	1	..	..	"	"
	(6) अभिलेखवाह ..	2	..	..	"	पटना
	(7) टंकक	10	..	..	"	कार्मिक विभाग से आवंटत
	(8) अभिलेखवाह ..	2	..	..	"	"
	9) ट्रेजरी सरकार ..	1	..	..	"	"
	(10) आशु टंकक ..	2	..	..	"	"
	(11) वरीय विपत्र लिपिक ..	1	..	..	"	"
	(12) वरीय लेखा निरीक्षक ..	4	..	..	"	"
	(13) कनीय लेखा निरीक्षक ..	12	..	..	"	"
	(14) लेखा निरीक्षक ..	1	..	..	"	"
	(15) सांख्यिकी	1	..	..	"	"
	(16) संकलक	5	1	..	"	"
	(17) दावा निरीक्षक ..	2	..	..	"	पटना, रेलवे से प्रतिनियुक्त
	(18) कार्टोग्राफर ..	1	..	..	"	"
	(19) स्टाफ कार चालक ..	2	..	..	"	"

एम० सी० सुवर्णा,
खाद्य आयुक्त, बिहार ।

विवरणी II

विभाग/कार्यालय का नाम—खाद्य, श्रापूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को प्रोन्नति में आरक्षण का विवरण 1975 से अद्यतन स्थिति के साथ।

श्रेणी का नाम	प्रोन्नति के लिये उपलब्ध पदों की संख्या	अनुसूचित जाति की प्रोन्नति के लिये		अनुसूचित जन-जाति की प्रोन्नति के लिये		बिना पारी के कितने अनुसूचित जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई	बिना पारी के कितने अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के नियत आरक्षण कोटे के अनुसार नियत न होने के कारण।
		आरक्षित पदों की संख्या	प्रोन्नति प्राप्त पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या	प्रोन्नति प्राप्त पदों की संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी 1	1 (उप-सचिव)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अवर-सचिव के सम्वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोई भी सदस्य नहीं है।

श्रेणी 2	17 (प्रवर-सचिव-2; निबन्धक-1, सहायक लेखा नियंत्रक-2 एवं, प्रशाखा पदाधिकारी-12 पद।)	2	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	ये आरक्षण प्रशाखा पदाधिकारी के सम्वर्ग में हैं किन्तु प्रवर कोटि सहायक के सम्वर्ग में प्रोन्नति दी जाती है; उसमें आरक्षित जाति के कोई सदस्य नहीं हैं।
श्रेणी 3	32 (प्रवर कोटि सहायक-15, मुख्य टंकक-1, प्रवर कोटि दिनचर्या लिपिक-2, ट्रेजरी सरकार-1, अभिलेख-वाह-2, वरीय लेखा, निरीक्षक-4, सांख्यिक 1 एवं दिनचर्या लिपिक-6 पद)।	4	3 (तीन)	1	1	2	शून्य	सहायक सम्वर्ग जिससे प्रवर कोटि सहायक के पद पर प्रोन्नति दी जाती है निरीक्षक सम्वर्ग जिससे वरीय के पद पर प्रोन्नति दी जाती है जाति के कोई सदस्य नहीं है।

एम० सी० सुवर्णा,
खाद्य आयुक्त,
बिहार।

विवरणी

विभाग का नाम खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग (मुख्यालय स्थापना)

अनुसूचित जाति।अनुसूचित जन-जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण ।

अद्यतन स्थिति के साथ ।

पद श्रेणी का नाम।	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या।	अनुसूचित जातियां (क) संख्या।	अनुसूचित जातियां (ख) प्रतिशत।	अनुसूचित जन-जातियां। (क) संख्या।	अनुसूचित जन-जातियां। (ख) प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी 1	8 (आठ) (खाद्य आयुक्त, अपर सचिव, डी॰आई॰जी॰ (फुड), उप-सचिव, यातायात निदेशक एवं लेखा पदाधिकारी)।	8 (आठ)	1 (एक)	12½ प्रतिशत	1	12½ प्रतिशत	आठ पदों में से पांच कार्मिक विभाग द्वारा, एक रेलवे द्वारा तथा एक पद महालेखाकार द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं । सचिव का एक ही पद विभागीय प्रोन्नति से भरा जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्य कार्मिक विभाग के पदाधिकारी हैं ।

श्रेणी 2	19(उन्नीस) (प्रवर-सचिव, उड़नदस्ता दंडाधिकारी, खाद्य आयुक्त के सचिव, निबंधक, सहायक लेखा नियंत्रक एवं प्रशाखा पदाधिकारी) ।	18(अठारह)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	इन 19 पदों में से दो पद कार्मिक विभाग द्वारा तथा शेष 17 पद विभागीय प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।
श्रेणी 3	131 (एक सौ इकतीस) (प्रवर कोटि सहायक, सहायक, प्रवर कोटि दिनचर्या लिपिक, दिनचर्या लिपिक, मुख्य टंकक, टंकक, अभिलेखवाह, ट्रेजरी सरकार, आशुटंकक, वरीय विपत्र लिपिक, वरीय लेखा निरीक्षक, कनीय लेखा निरीक्षक, लेखानिरीक्षक, सांख्यिक, संकलक, दावा निरीक्षक, कार्टोग्राफर एवं स्टाफ कार चालक ।	106	3	2.83 प्रतिशत।	1	1 प्रतिशत।	

एम० सी० सुवर्णा,
खाद्य आयुक्त, बिहार।

बि०स०मु० (एल०ए०) 420—मोनो—600—21-3-1983—मिश्री लाल

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
1983